उपायुक्त का कार्यालय(गोपनीय शाखा), धनबाद।

आदेश

धनबाद जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार–प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार *"धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"*।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार–प्रसार करना बंद करें एवं धनबाद जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 355/गो0 / धनबाद दिनांक 20/02/2014

प्रतिलिपि : धनबाद जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचनें वाले दूकानदारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशासक, धनबाद नगर निगम, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, धनबाद/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, धनबाद/ सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वाथ्य केन्द्र, जिला धनबाद/ अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, धनबाद/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, धनबाद/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, धनबाद/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, धनबाद/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, धनबाद/ सभी सी0डी0पी0ओ0, धनबाद/ श्रम अधीक्षक, धनबाद / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), धनबाद/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकु नियंत्रण, धनबाद/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद एवं पुलिस अधीक्षक, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, धनबाद को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगें।

20/02/14
उपायुक्त, धनबाद।